न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0168/2019 | तारीख रजू:– 29.11.2019

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

गोविन्द प्रसाद दत्तक पुत्र जगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————— सायल

बनाम

1. राजकुमार पुत्र सुआलाल
2. दौलत | पिसरान बैजनाथ
3. सोनू
4. विकास
5. मुस0 गुड्डी देवी बेबा बैजनाथ

जाति ब्राहम्ण निवासी नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली——— गैरसायलान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01ता 5

निर्णय

दिनांक :– 17-8-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उवानी दावा बाबत् डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्[illegible]ाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद [illegible] में दर्ज किया है कि आराज[illegible] मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र सायल व गैरसायल[illegible]01 ता 5 व प्रतिवादी [illegible] लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

19 (वाद पत्र) के संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें सायल 1/2 हिस्सा का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रथम दृष्टया केस सायल का बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 ने अपने जीवन काल में उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का अभी तक विधिवत बंटवारा होकर अलग अलग खातेदारी नहीं हुई है वैसे सायल बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। सायल बाहमी बंटवारा में आयी भूमि खसरा नम्बर 2054 की आधी भूमि और खसरा नम्बर 2058 व 2059 के सम्पूर्ण रकबा पर काबिज काश्त है तथा सायल की उक्त बाहमी बंटवारे में आयी भूमि पर गैहूँ सरसब्ज बोई हुई खडी हुई है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सायल के कब्जा काश्त में बाहमी बंटवारा में आयी भूमि से गैरसायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है लेकिन अब सायल के हिस्सा में बाहमी बंटवारा से आयी भूमि रास्ता के सहारे होने के कारण उसकी कीमत बढ जाने एवं गैरसायल सं01 एवं गैरसायल सं0 2,3,4 के पिता एवं गैरसायल सं05 के पति बैजनाथ का राजस्व रिकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने के कारण गैरसायलान के दिल में बदयान्ति आ गयी है जबकि उनके पूर्वज मुरली के गोद चले गये तथा गोदग्रहिता मुरली की जमीन जायदाद पर काबिज हो गये तथा उनका एवं उनके पूर्वज सुआलाल का आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र से कोई वास्ता नहीं रहा है न ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायल के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि खसरा नम्बर 2059 जो कि रास्ते के किनारे है इसलिए आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है इसलिए सायल ने दिनांक 23.11.2019 को सुबह उसकी मेंढबदी व तारबन्दी करा रहा था तो गैरसायलान एकराय होकर आ गये तथा गाली गलौंच किया तथा मेंढबन्दी व तारबंदी करने से मना किया तथा सायल के लडका त्रिभुवन के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। गैरसायल सं01 ता 5 ने ऐलानियॉ धमकी दे गये कि खेतों पर आये तो जान से मार देंगे तथा खेतों की मेंढबन्दी व तारबन्दी नहीं करने देंगे तथा फसल को जानवरों से नष्ट कराके रहेंगे। उक्त भूमि को नाकाबिल काश्त बना देंगे। सायल ने उनसे विधिवत बंटवारा मुताविक पूर्व में हुए बाहमी बंटवारे के अनुसार करने का निवेदन किया तो गैरसायलान विधिवत बंटवारा करने से इन्कार हो गये अब भी गैरसायलान, सा[illegible] अपनी फसल की देखभाल करने के लिए खेतों पर नहीं जाने दे [illegible] न ही फसल की सुरक्षा हेतु मेंढबन्दी व तारबन्दी कर[illegible] सायल का अपूर्तनीय हानि है। यदि गैरसायलान अ[illegible] कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा दावा पेश कर[illegible] का मकसद ही फौत हो जावेगा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जिसकी क्षति पूर्ति दृव्य में होना सम्भव नहीं होगा। इसलिए न्यायहित में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वह स्वंय अथवा अन्य के द्वारा आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन के 1/2 हिस्सा की भूमि जो सायल के कब्जा काश्त में बाहमी बंटवारा अनुसार रही है उसे सायल को काश्त करने से नहीं रोकें तथा उक्त भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु आवारा पशुओं को रोकने के लिए मेंढबन्दी , तारबन्दी कराने से नहीं रोंके तथा उक्त भूमि को बिना विधिवत बंटवारा किसी को रहन वय करके हस्तातंरित नहीं करें तथा ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायल को अपूर्तनीय हानि हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 ता 5 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आया तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 गलत है अस्वीकार है, सायलान को उक्त प्रकरण में सफलता की कोई उम्मीद नहीं हैं

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि इस मद में वर्णित आराजीयात का ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात से सायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है अस्वीकार है। जब आराजी से सायल का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा किया जाना एवं सायल द्वारा आराजी को काश्त करना अपने आप में गलत होना बखूबी साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है, अस्वीकार है। खसरा नम्बर 2059 स्थित ग्राम नौरंगाबाद से सायल का कोई सम्बन्ध नहीं है। खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त भूमि से सायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

विशेष विवरण :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायल एवं गैरसायलान के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है। जिसमें रतनलाल के पांच

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

लडके दुर्गा (लाऔलाद), नन्दलाल, रामनारायण (लाऔलाद), गोरधन (लाऔलाद), गुलाब हैं। नन्दलाल के एक लडका घूडमल है तथा घूडमल के चार लडके सुआलाल, चौथमल गिर्राज रामसहाय है। सुआलाल के दो लडके राजकुमार व बैजनाथ है तथा बैजनाथ के वारिस दौलत, सोनू, विकास गुड्डी हैं तथा चौथमल के वारिस ब्रहमदत्त, शिवदत्त, गोविन्द है तथा गिर्राज के वारिस दिनेश राजेन्द्र ऑकारेश्वर हैं तथा रामसहाय के वारिस ब्रहमानन्द रूकमणी महेश ममता है। गुलाब के एक लडका जगन (लाऔलाद) है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि उक्त वाद में सायल एवं गैरसायलान के मध्य जगन जो कि सायल एवं गैरसायलान के सजरे के अनुसार पूर्वज रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन पर्यन्त किसी को गोद नहीं लिया। सायल गोविन्द ने दौराने सेटिलमेन्ट सेटिलमेन्ट कर्मचारियों से साजकर मृतक जगन की सम्पत्ति विवादग्रस्त आराजीयात को गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया। जबकि वास्तंव में मृतक जगन की सम्पत्ति पर घूडमल के समस्त वारिसान अपने अपने हिस्सानुसार काबिज एवं दखील है। इसलिए मृतक जगन की आराजीयात से सायल गोविन्द का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायल गोविन्द ने उक्त प्रार्थना पत्र में अपने आपको मृतक जगन का दत्तक पुत्र बताते हुए उक्त वाद बाबत् तकास्मा प्रस्तुत किया है जबकि वास्तंव में सायल गोविन्द को मृतक जगन ने कभी गोद नहीं लिया, यहॉ तक सायल गोविन्द की वर्तमान में उम्र 62 साल दर्ज रिकार्ड है। इसके उपरान्त भी सायल के समस्त दस्तावेजात मसलन शैक्षणिक दस्तावेजात, सर्विस रिकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में पिता का नाम चौथमल दर्ज है जो एकदम सही है लेकिन उक्त समस्त दस्तावेजात से यह तथ्य भली प्रकार साबित है कि सायल गोविन्द मृतक चौथमल का पुत्र है। मृतक जगन का दत्तक पुत्र नहीं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायल के पिता मृतक चौथमल की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजीयात के साथ साथ अन्य आराजीयात जो कि मृतक चौथमल के नाम दर्ज रिकार्ड थी, उनमें विरासत का नामान्तकरण भी मृतक चौथमल के अन्य वारिसान के साथ साथ सायल गोविन्द के नाम भी बहिस्सा बराबर रेवन्यू कर्मचारियों द्वारा बाद जॉच तस्दीक फरमाया गया जिससे भी यह तथ्य भली प्रकार साबित है कि सायल का मृतक जगन की सम्पत्तियों से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसलिए सायल इस प्रकरण में कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि स्वंय सायल द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात एवं अपनी [illegible] आराजीयात बाबत् एक रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 01.02.2012 को अपने सगे भाई ब्रहमदत्त व शिवदत्त के हक में सब रजिस्टार हिण्डौन के कार्यालय में तकमील तस्दीक करवाया है एवं उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज में स्वंय सायल ने अपने आपको मृतक चौथमल का पुत्र एवं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

विधिक वारिस होना अंकित किया है। जिससे यह तथ्य भली प्रकार साबित है कि सायल मृतक जगन के दत्तक पुत्र नहीं होकर मृतक चौथमल के लीगल पुत्र व वारिस हैं। उक्त तथ्य स्वंय चौथमल की वसीयत से भी भली प्रकार साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात की जमाबदी सं0 2037–40 के कॉलम सं0 17 में मृतक जगन की विरासत का नामान्तकरण सं0 471 तारीरीख 28.02.1982 का नोट सायल के नाम दर्ज होने के फलस्वरूप जब गैरसायलान ने रिकॉर्ड रूम करौली से उक्त नामान्तकरण सं0 471 तारीखी 28.02.1982 की नकल प्राप्त करने का प्रयास किया तो रिकार्ड रूम अधिकारी ने ऐसा कोई नामान्तकरण रिकार्ड में नहीं होने के कारण प्रार्थी का नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। इससे भी यह तथ्य भली प्रकार साबित है कि सायल द्वारा मृतक जगन की विरासत में अपना नाम अवैधानिक रूप से दर्ज करवाया है। इसलिए भी सायल का प्रार्थना पत्र मय दावा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि सायल एवं गैरसायलान के मध्य विवादग्रस्त आराजीयात बाबत् मृतक जगन के दत्तक पुत्र होने अथवा नहीं होने का विवाद है एवं दत्तक होने अथवा नहीं होने के प्रश्न का अवधारण इस सम्मानीय अदालत द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए इस प्रकरण का अवधारण गैरसायलान द्वारा यथाशीघ्र सिविल न्यायालय से करवाया जाना प्रस्तावित है। इसलिए दत्तक के प्रश्न का अवधारण सिविल न्यायालय से करवाये बिना सायल इस प्रकरण में कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा समस्त मेटेरियल फैक्टस को छुपाकर हाईड एण्ड सीक के प्रिन्सीपल के आधार पर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में सायल कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 – 74, फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2000, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन पत्रांक 214 दिनांक 01.02.1982, फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक 20.01.1982 न्यायालय नायबतहसीलदार हिण्डौन, फोटो प्रति निर्णय व इजलास श्री गजानन्द डैरोलिया सरपंच तथा अन्य पंचगण ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी [illegible] 08.11.1981, फोटो प्रति गोदनामा दिनांक 16.04.1975, फोटो प्रति [illegible] सम्बन्धी हेतु सरपंच ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी दिनांक 14.10.1[illegible] फोटो प्रति न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन उनवानी राजकुमार वगैराह ब[illegible] रामसहाय वगैराह दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.02.2012 उनवानी विधादेवी, बहक ब्रहमदत्त वगैराह, फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 26.11.1992, फोटो प्रति राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी वार्ड सं04 की क्रम सं0 143 पर गोविन्द पुत्र चौथमल का नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/086/456206है, फोटो प्रति दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी का कार्यालय आदेश कमांक 3110 दिनांक 02.07.1986, फोटो प्रति नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2021 प्रार्थी सोनू पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी श्रीमहावीरजी जो श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को दिया गया है जिसमें नामान्तकरण सं0 471 दिनांक 28.02.1982 खसरा नम्बर 1175,1174, 76 सम्बत् 2037 से 40 ग्राम नौरंगाबाद हिण्डौन जिला करौली को दिनांक 10.02.2021 को निरस्त किया गया है, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 ग्राम नौरंगाबाद, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2029–32, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 3033 से 36 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन ने दौराने बहस दोनों पक्षों को रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने पर सहमति जताई है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 – 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर **2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0** वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी **गुड्डी पत्नि बैजनाथ हि01/32, गिर्राज पुत्र घूडमल हि01/12, गोविन्दप्रसाद पुत्र मु0 जगन हि01/2, दौलत पुत्र बैजनाथ हि01/32, ब्रहमदत्त पुत्र चौथमल हि0 1/24, ब्रहमानन्द पुत्र रामसहाय हि01/48, ममता पुत्री रामसहाय हि0 1/48, महेशनारायण पुत्र रामसहाय हि01/48, रूकमणी पत्नि रामसहाय हि01/48, राजकुमार पुत्र सुवालाल हि01/8, विकास पुत्र बैजनाथ हि01/32, शिवदत्त पुत्र चौथमल हि01/24, सोनू पुत्र बैजनाथ हि01/32** जातियान ब्राहम्ण सा0देह ग्राम **खातेदार** के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

फोटो प्रति तहसीलदार हि[illegible]क 214 दिनांक 01.02.1982 के **अनुसार** मृतक जगन[illegible] निवासी श्रीमहावीरजी का **उत्तराधिकारी** गोविन्द प्रसाद दत्तक पुत्र [illegible] ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी **ही है।** इनकी खातेदारी की भूमि ग्राम नौरंगाबाद है। अतः नामान्तकरण **उत्तराधिकारी** श्री गोविन्दप्रसाद दत्तक पुत्र के नाम खोलकर प्रमाणित कराकर **तामीली रिपोर्ट** अन्दर 7 योम पेश करें।

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.02.2012 उनवानी विधादेवी, बहक ब्रहमदत्त वगैराह, फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 26.11.1992, फोटो प्रति राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी वार्ड सं04 की कम सं0 143 पर गोविन्द पुत्र चौथमल का नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/086/456206है, फोटो प्रति दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी का कार्यालय आदेश कमांक 3110 दिनांक 02.07.1986, फोटो प्रति नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2021 प्रार्थी सोनू पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी श्रीमहावीरजी जो श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को दिया गया है जिसमें नामान्तकरण सं0 471 दिनांक 28.02.1982 खसरा नम्बर 1175,1174, 76 सम्वत् 2037 से 40 ग्राम नौरंगाबाद हिण्डौन जिला करौली को दिनांक 10.02.2021 को निरस्त किया गया है, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 ग्राम नौरंगाबाद, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2029–32, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 3033 से 36 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन ने दौराने बहस दोनों पक्षों को रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने पर सहमति जताई है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 – 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुड्डी पत्नि बैजनाथ हि01/32, गिर्राज पुत्र घूडमल हि01/12, गोविन्दप्रसाद पुत्र मु0 जगन हि01/2, दौलत पुत्र बैजनाथ हि01/32, ब्रहमदत्त पुत्र चौथमल हि0 1/24, ब्रहमानन्द पुत्र रामसहाय हि01/48, ममता पुत्री रामसहाय हि0 1/48, महेशनारायण पुत्र रामसहाय हि01/48, रूकमणी पत्नि रामसहाय हि01/48, राजकुमार पुत्र सुवालाल हि01/8, विकास पुत्र बैजनाथ हि01/32, शिवदत्त पुत्र चौथमल हि01/24, सोनू पुत्र बैजनाथ हि01/32 जातियान ब्राहम्ण सा0देह ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति तहसीलदार हिण्डौन पत्रांक 214 दिनांक 01.02.1982 के अनुसार मृतक जगनलाल पुत्र [illegible] ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी का उत्तराधिकारी गोविन्द प्रसाद दत्तक पुत्र [illegible] ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी ही है। इनकी खातेदारी की भूमि [illegible] नौरंगाबाद है। अतः नामान्तकरण उत्तराधिकारी श्री गोविन्दप्रसाद दत्तक पुत्र के नाम खोलकर प्रमाणित कराकर तामीली रिपोर्ट अन्दर 7 योम पेश करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति नकल निर्णय दिनांक20.01.1982न्यायालय नायबतहसीलदार हिण्डौन अपठनीय है।

फोटो प्रति निर्णय व इजलास श्री गजानन्द डैरोलिया सरपंच तथा अन्य पंचगण ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी दिनांक 08.11.1981 में अंकन किया है कि सर्वसम्मति से प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी गोविन्द प्रसाद को श्री जगनलाल ने सामाजिक परमपराओं के अनुसार गोद लिया था।

फोटो प्रति गोदनामा दिनांक 16.04.1975, फोटो प्रति प्रमाण पत्र कृषि विधुत सम्बन्धी हेतु सरपंच ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी दिनांक 14.10.1981के अनुसार प्रमाणित किया है कि श्री गोविन्द शर्मा दत्तक पुत्र जगनलाल शर्मा के आराजी खसरा नम्बर 1174,1175 हैं।

फोटो प्रति न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन उनवानी राजकुमार वगैराह बनाम रामसहाय वगैराह दावा बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा के पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 01.02.2012 उनवानी विधादेवी, बहक ब्रहमदत्त वगैराह के अनुसार विधादेवी कृपादेवी पुत्रियॉ चौथमल, गोविन्द पुत्र चौथमल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन रिलीजकर्तागण के द्वारा ब्रहमदत्त शिवदत्त पिसरान श्री चौथमल जाति ब्राहम्ण निवासी नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन रिलीज ग्रहितागण के हक में खसरा म्बर 2681 रकबा 0.01 है0, 2682/1 रकबा 0.20 है0, 2682/2 रकबा 0.14 है0, 2683 रकबा 0.01 है0, 2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.36 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित की गई है।

फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 26.11.1992 उनवानी वैध श्री चौथमल शर्मा पुत्र घूडमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी वसीयतकर्ता बहक ब्रहमदत्त शर्मा, शिवदत्त शर्मा, गोविन्द प्रसाद शर्मा पिसरान श्री चौथमल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी श्रीमहावीरजी के हक में लिखी गई है।

फोटो प्रति राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, ग्राम पंचायत श्रीमहावीरजी वार्ड सं04 की कम सं0 143 पर गोविन्द पुत्र चौथमल का नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मतदाता पहचान पत्र सं0 आरजे/11/ 086/456206 है।

फोटो प्रति दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी का कार्यालय आदेश कमांक 3110 दिनांक 02.07.1986 के अनुसार श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा निवासी राजकीय [illegible] के पास श्रीमहावीरजी जो कि क्षेत्र स्थित दिगम्बर जैन औषधालय [illegible] कम्पाउण्डर के पद पर निर्धारित वेतन श्रंखला में कार्यरत है, को श्री महावीर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान श्रीमहावीरजी में स्थानान्तरित कर उक्त संस्थान में उपचारक के पद

Signature Not Verified
Digitally signed by Andeep Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

पर 6 माह के प्रशिक्षण काल तक प्रोबेसन पर 400/-रूपया मासिक समग्र वेतन पर नियुक्त किया जाता है।

फोटो प्रति नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2021 प्रार्थी सोनू पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी श्रीमहावीरजी जो श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को दिया गया है जिसमें नामान्तकरण सं0 471 दिनांक 28.02.1982 खसरा नम्बर 1175,1174, 76 सम्बत् 2037 से 40 ग्राम नौरंगाबाद हिण्डौन जिला करौली पेश किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई नकल से सम्बन्धित ग्राम नौरंगाबाद का नामातकरण सं0 471 दिनांक 28.02.1982 का रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं होने के कारण नकल बनाना सम्भव नहीं है जिस पर तहसीलदार भू-अभि0 जिला कार्यालय करौली के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 10.02.2021 अंकित है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037-40 ग्राम नौरंगाबाद के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1174 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1175 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 1176 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नौरंगावाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगन पुत्र गुलाब हि01/2 चौथमल गिर्राज रामसहाय पि0 घूडमल राजकुमार बैजनाथ पि0 सुवालाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 471 दिनांक 28.02.1982 के अनुसार जगन पुत्र गुलाब हि01/2 के बजाय गोविन्द प्रसाद दत्तक पुत्र जगन ब्राहम्ण हि01/2 हुआ बाकी इन्द्राज 1/2 बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2029-32 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1174 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1175 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 1176 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नौरंगावाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगन पुत्र गुलाब हि01/2 चौथमल गिर्राज रामसहाय पि0 घूडमल राजकुमार बैजनाथ पि0 सुवालाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 3033 से 36 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1174 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1175 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 1176 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नौरंगावाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगन पुत्र गुलाब हि01/2 चौथमल गिर्राज रामसहाय पि0 घूडमल राजकुमार बैजनाथ पि0 सुवालाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.67 है0, [illegible] 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुड्डी पत्नि बैजनाथ हि[illegible]/32, गिर्राज पुत्र घूडमल हि01/12,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

गोविन्दप्रसाद पुत्र मु0 जगन हि01/2, दौलत पुत्र बैजनाथ हि01/32, ब्रहमदत्त पुत्र चौथमल हि0 1/24, ब्रहमानन्द पुत्र रामसहाय हि01/48, ममता पुत्री रामसहाय हि0 1/48, महेशनारायण पुत्र रामसहाय हि01/48, रूकमणी पत्नि रामसहाय हि01/48, राजकुमार पुत्र सुवालाल हि01/8, विकास पुत्र बैजनाथ हि01/32, शिवदत्त पुत्र चौथमल हि01/24, सोनू पुत्र बैजनाथ हि01/32 जातियान ब्राहम्ण सा0देह ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायलान विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने दौराने बहस दोनों पक्षों को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने पर सहमति जताई है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। पक्षकारान के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए दोनों पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसमें दोनों पक्षों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। इसी प्रकार सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर सायल एवं गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.67 है0, 2055 रकबा 0.03 है0, 2056 रकबा 0.03 है0, 2057 रकबा 0.31 है0, 2058 रकबा 0.39 है0, 2059 रकबा 0.24 है0, 2060 रकबा 0.33 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.19 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner